

**राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच**

एस.बी. आपराधिक अपील (एसबी) संख्या 2203/2024

मोहम्मद. इसरार उर्फ कल्लू पुत्र मोहम्मद. मुआक, निवासी मस्जिद वाली गली, नकासा मोहल्ला, शाह ग्रान
इटावा, थाना। कोतवाली जिला इटावा (उ.प्र.) (वर्तमान में सेंट्रल जेल अजमेर में बंद)

----अपीलकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. प्रेम चंद नैन पुत्र किशन लाल, निवासी सरस्वती नगर, गली नंबर 3,
धोलाभाटा रोड, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर

----उत्तरदाता

अपीलकर्ता(ओं)के लिए : श्री धर्मेन्द्र जोशी
श्री कन्हैया लाल
उत्तरदाता(ओं)के लिए : श्री मानवेन्द्र सिंह शेखावत जी के साथ
श्री ऋषि राज सिंह राठौड़, पीपी
श्री ओम प्रकाश, सीओ, अजमेर सिटी
दक्षिण

माननीय श्री जस्टिस समीर जैन

निर्णय

पिछेय

अक्षिति : 24/09/2024

घेसिति : 24/10/2024

1. वर्तमान अपील अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 (जिसे आगे एससी/एसटी अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 14 ए के तहत प्रस्तुत की गई है, जो एफआईआर संख्या 55/2022 से उत्पन्न हुई है, जो आईपीसी की धारा 115, 342, 343, 364, 302, 201, 120 बी, 37 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(वी), 3(2)(वीए) के तहत अपराधों के लिए है।
2. संक्षेप में, इस मामले की पृष्ठभूमि यह है कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पुलिस स्टेशन अलवर गेट, अजमेर में दिनांक 07.02.2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 365 (अनुलग्नक 1) के अंतर्गत अपराध

हेतु प्राथमिकी संख्या 55/2022 दर्ज कराई गई थी। इसके परिणामस्वरूप, जाँच पूरी होने पर पुलिस अधिकारियों ने अपीलकर्ता सहित सात अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

3. अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता लंबे समय (लगभग 38 महीने) से जेल में बंद है; वह एक युवा व्यक्ति है और परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। इसके अलावा, यह अपील भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 39 ए में निहित मौलिक और संवैधानिक गारंटियों के प्रावधानों के आलोक में प्रस्तुत की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि महत्वपूर्ण गवाहों, अर्थात् अभियोग-1 से अभियोग-2, का विधिवत परीक्षण किया जा चुका है, तथापि, बत्तीस गवाहों का परीक्षण अभी बाकी है। अतः, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मुकदमे के समापन में लंबा समय लगेगा।

4. इसके अलावा, अब तक जिन गवाहों से पूछताछ की गई है, उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि सह-अभियुक्त (जिनके नाम उसी प्राथमिकी और आरोपपत्र में हैं) पहले ही जमानत पर रिहा हैं - आदित्य किशोर शर्मा, दिनांक 28.07.2023 के आदेश के अनुसार, गौतम सिंह, दिनांक 06.11.2023 के आदेश के अनुसार, और देवेन्द्र कुमार यादव उर्फ मनोज यादव, दिनांक 06.11.2023 के आदेश के अनुसार। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक पृष्ठभूमि दर्ज नहीं है।

5. फिर भी, नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के साथ, विचार के नए क्षेत्र खुल गए हैं, जैसे कि सजा की अवधि पर विचार करना और यदि अभियुक्त ने पहले ही उक्त सजा का एक तिहाई हिस्सा काट लिया है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

6. विद्वान वकील ने एस.बी. आपराधिक विविध द्वितीय जमानत आवेदन संख्या **13525/2023** जिसका शीर्षक **राकेश @ रोडू बनाम राजस्थान राज्य** है, एस.बी. आपराधिक विविध द्वितीय जमानत आवेदन संख्या **14954/2023** जिसका शीर्षक **रूपक चटर्जी बनाम राजस्थान राज्य** है और **डेटा राम सिंह बनाम यूपी राज्य** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों **(2018) 3 एससीसी 22** में रिपोर्ट किया गया, **सुमित सलूजा बनाम यूपी राज्य सीबीआई के माध्यम से (2015) 17 एससीसी 210** में रिपोर्ट किया गया और एस.बी. आपराधिक जमानत आवेदन संख्या **861/2021** जिसका शीर्षक **खेत सिंह बनाम राज्य पीपी** के माध्यम से है, में दिए गए अनुपात पर भरोसा रखा था और प्रस्तुत किया था इसलिए अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

7. इसके विपरीत, विद्वान सरकारी वकील ने तत्काल अपील का पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि आरोपी-अपीलकर्ता ने चौथी जमानत याचिका दायर की है, फिर भी, इसे 23.08.2024 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया। इसके अलावा, इस अदालत ने मामले की विस्तार से सुनवाई करने के बाद 18.04.2024 के आदेश के तहत सह-आरोपी हरि उर्फ लंगड़ा (माफिया) की तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उक्त आदेश में उन महत्वपूर्ण कारकों का भी उल्लेख है, जिन पर विचार करते हुए, उक्त जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, यानी आरोपी-आवेदक के खिलाफ असंख्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। आगे यह तर्क दिया गया कि यहां आरोपी-अपीलकर्ता उक्त व्यक्ति से परिचित भी है/था, इसलिए संभावना है कि अगर जमानत पर रिहा किया गया, तो आरोपी-अपीलकर्ता सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है और गवाहों को प्रभावित/मजबूर कर सकता है।

8. इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि अभियुक्त से दो लाख रुपये की वसूली की जानी है। इसके अलावा, प्राथमिकी और पूर्व जमानत खारिज करने के आदेशों की विषयवस्तु में स्पष्ट रूप से उस खतरे और आतंक का उल्लेख है जो अभियुक्त-अपीलकर्ता ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर संबंधित क्षेत्र में फैलाया/ फैलाया है। अतः, आरोपों की प्रकृति और अभियुक्त-अपीलकर्ता के विरुद्ध दर्ज आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, इस अपील को तुरंत खारिज किया जाना चाहिए।

9. सुना और विचार किया गया।

10. मामले के तथ्यों पर विचार करने से पहले, यह समझना ज़रूरी है कि न्यायालय को ज़मानत देने की कितनी शक्तियाँ हैं और संबंधित अभियुक्त को ज़मानत देने के लिए अपराध की प्रकृति और गंभीरता को निर्धारित करने वाले कारक क्या हैं। जैसा कि माननीय न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर ने ठीक ही कहा है, "ज़मानत का मुद्दा स्वतंत्रता, न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा और सरकारी खजाने के बोझ से जुड़ा है, और ये सभी इस बात पर ज़ोर देते हैं कि ज़मानत का एक विकसित न्यायशास्त्र एक सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।"

11. **प्रहलाद सिंह भाटी बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य (2001) 4 एससीसी 280** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उन सिद्धांतों को बताया, जिन पर जमानत देते समय विचार किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैं: -

"8. ज़मानत देने का अधिकार क्षेत्र प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि मनमाने ढंग

से। जमानत देते समय, न्यायालय को आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप मिलने वाली सजा की गंभीरता, अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन और स्थिति, अभियुक्त की विशिष्ट परिस्थितियाँ, मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनता या राज्य के व्यापक हित और इसी तरह के अन्य विचारों को ध्यान में रखना होगा। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जमानत देने के प्रयोजनों के लिए विधानमंडल ने "साक्ष्य" के स्थान पर "विश्वास करने के उचित आधार" शब्दों का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है कि जमानत देने से संबंधित न्यायालय केवल इस बात से संतुष्ट हो सकता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई वास्तविक मामला है या नहीं और अभियोजन पक्ष आरोप के समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत कर पाएगा या नहीं। इस स्तर पर, अभियुक्त के अपराध को उचित आधार से परे सिद्ध करने वाले साक्ष्य का होना अपवाद नहीं है। संदेह।"

12. जमानत देने या न देने के लिए, 'अपराध/आरोप की प्रकृति' का बहुत महत्व है। जमानत देने के संबंध में महत्वपूर्ण विचार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह (2002)**

3 एससीसी 598 में पारित निर्णय में स्पष्ट किए गए थे, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी: -

"4. उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य प्रासंगिक विचार भी इस समय ध्यान में आ सकते हैं, हालांकि ये केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं, और न ही कोई हो सकता है। ये विचार इस प्रकार हैं:

(क) जमानत देते समय अदालत को न केवल आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा, बल्कि सजा की गंभीरता को भी ध्यान में रखना होगा, अगर आरोप के कारण दोषसिद्धि होती है और आरोपों के समर्थन में सबूतों की प्रकृति को भी ध्यान में रखना होगा।

(ख) गवाहों के साथ छेड़छाड़ किए जाने या शिकायतकर्ता के लिए खतरा होने की उचित आशंकाओं को भी जमानत देने के मामले में न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(ग) यद्यपि यह अपेक्षित नहीं है कि सम्पूर्ण साक्ष्य अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे सिद्ध कर दें, परन्तु आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि अवश्य होनी चाहिए।

(घ) अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और जमानत प्रदान करने के मामले में केवल वास्तविकता के तत्व पर विचार किया जाना चाहिए, और अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में, सामान्य घटनाक्रम में, अभियुक्त जमानत के आदेश का हकदार है।

13. इसी प्रकार, जमानत देने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले मापदंडों का वर्णन **कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और अन्य (2004) 7 एससीसी 528** में निम्नानुसार किया गया है: -

“11. जमानत देने या न देने के संबंध में कानून पूरी तरह से स्थापित है। जमानत देने वाली अदालत को अपने विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, न कि बिना सोचे-समझे। हालाँकि जमानत देने के चरण में साक्ष्यों की विस्तृत जाँच और मामले के गुण-दोष का विस्तृत दस्तावेज़ीकरण आवश्यक नहीं है, फिर भी ऐसे आदेशों में प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कारण बताना ज़रूरी है कि जमानत क्यों दी जा रही है, खासकर जब अभियुक्त पर गंभीर अपराध करने का आरोप हो। ऐसे कारणों से रहित कोई भी आदेश विवेक के अभाव का प्रतीक होगा। जमानत देने वाली अदालत के लिए जमानत देने से पहले अन्य परिस्थितियों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करना आवश्यक है; वे हैं:

(क) आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता तथा सहायक साक्ष्य की प्रकृति।

(ख) गवाह के साथ छेड़छाड़ या शिकायतकर्ता को धमकी की उचित आशंका।

(ग) आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि।”

14. अंत में, दीपक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2022) 8 एससीसी 559 में उल्लिखित अनुपात पर भरोसा किया जा सकता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि:-

“निश्चित रूप से ऐसा कोई सीधा फार्मूला नहीं है जो अदालतों के लिए जमानत देने या खारिज करने के लिए आवेदन का आकलन करने के लिए मौजूद हो, लेकिन यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई मामला जमानत देने के लिए उपयुक्त है, इसमें कई कारकों को संतुलित करना शामिल है, जिनमें अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता और अभियुक्त की संलिप्तता का प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। यह न्यायालय सामान्यतः उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है। हालाँकि, उच्च न्यायालय का भी यह दायित्व है कि वह अपने विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक और इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में निर्धारित मूल सिद्धांतों के अनुपालन में सख्ती से करे।

15. उपर्युक्त टिप्पणियों पर विचार करते हुए तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए कथनों को एक साथ रखते हुए, यह न्यायालय निम्नलिखित रुख अपनाता है:

15.1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय विशिष्ट तथ्यात्मक आधार पर हैं, क्योंकि इस मामले में विशेष अधिनियम के प्रावधानों के साथ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा, इस मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं, और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वे समाज के लिए खतरा हैं।

15.2. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनेक अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं इस न्यायालय या विद्वान विचारण न्यायालय के आदेशों द्वारा, महत्वपूर्ण पहलुओं पर समुचित विचार करने के पश्चात, चक्रीय रूप से खारिज कर दी जाती हैं; उदाहरण के लिए, अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत आपराधिक पूर्ववृत्तों की संख्या, आरोपों की प्रकृति, अभियुक्तों की आदत आदि।

15.3. एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामलों में जमानत देने के लिए, कारावास की अवधि एकमात्र आधार नहीं हो सकती, बल्कि अपराध की गंभीरता और प्रकृति पर विचार किया जाना चाहिए। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर जघन्य हत्या की और पीड़ित को कई बार धमकाया। फिर भी, जमानत के मामले पर विचार करते समय, यह न्यायालय इस मामले के तथ्यों और गुण/दोषों के मुद्दों पर विचार करने तक ही सीमित रहना उचित समझता है।

16. इसलिए, पूर्ववर्ती आदेश पत्रों पर विचार करते हुए; परिस्थितियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होने; लगाए गए आरोपों की प्रकृति; अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा साक्ष्य/गवाहों को प्रभावित करने या उनसे छेड़छाड़ करने की संभावना; व्यापक रूप से जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए, यह न्यायालय अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं है।

17. तदनुसार, यह अपील खारिज की जाती है। यदि कोई लंबित आवेदन है, तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा।

(सीरैज, जे

अतिरिक्त/370

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

[2024:आरजे-जेपी:41626]

[सीआरएलएएस-2203/2024]



Tarun Mehra
Advocate